न्यायालय सिविल जज (जू० डि०), एफ० टी० सी०–1/ न्यायिक मैजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या –32 गाजियाबाद।

नौशीन मलिक बनाम उमर आदि

प्रार्थना पत्र संख्या–70508/2022

दिनांक 07.08.2023

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिंदु पर पूर्व में सुना जा चुका है।

परिवाद पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादी ने स्वयं को अंतर्गत धारा–200 दंड प्रक्रिया संहिता एवं पी०डब्लू०–1 के रूप में साक्षी यास्मीन मलिक व पी०डब्लू–2 के रूप में साक्षी बाबू खाँ को अंतर्गत धारा–202 दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है।

संक्षेप में परिवाद पत्र के आधार पर परिवादी का कथन है कि उसकी पुत्री की शादी वर्ष 2016 में उमर के साथ हुई थी उक्त शादी में प्रार्थी ने 25 लाख रूपये खर्च किये थे परन्तु उक्त शादी से प्रार्थी के ससुराल वाले खुश नहीं थे शुरू से ही ये लोग प्रार्थी की पुत्री को कम दहेज के ताने देने लगे और मजीद दहेज में कार व पांच लाख रूपये की मांग करने लगे। प्रार्थी की पुत्री के मांग पूरी न करने से इंकार करने पर उक्त लोग प्रार्थी की पुत्री को भिन्न–भिन्न तरीके से मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर प्रताड़ित करने लगे इसी बीच प्रार्थी की पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसेक छोछक में उक्त लोगों ने प्रार्थी की पुत्री से दोबारा पांच लाख रूपये व एक कार की मांग की। प्रार्थी ने अपनी पुत्री के भविष्य को देखते उक्त लोगों को दो लाख रूपये दे दिये। कुछ दिन बाद प्रार्थी की पुत्री ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया जिसके छोछक में प्रार्थी की पुत्री के ससुराल वालो ने दोबारा पांच लाख रूपये व एक कार की मांग की। दिनांक 02.07.2022 को समय करीब 5:30 बजे प्रार्थी की पुत्री के साथ उक्त लोगो ने मारपीट व जान से मारने की कोशिश की। प्रार्थी की पुत्री किसी तरह से उनसे छूटकर भागी और घर से बाहर निकलकर कून्दी लगा दी और प्रार्थी को फोन करके उक्त घटना की सूचना दी। जिस पर प्रार्थी व उसके घरवाले थाना ज्योतिनगर दिल्ली गये परन्तु थाने में सात घन्टे बैठने के बावजूद प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई। ससुराल वालों ने प्रार्थी की पुत्री के बड़े पुत्र को जबरदस्ती अपने पास रख लिया और छोटा पुत्र प्रार्थी की पुत्री को दे दिया। विपक्षीगण बहुत ही सरकश ,लालची किस्म के व्यक्ति हैं उक्त लोग कभी भी प्रार्थी की पुत्री के साथ कत्ल जैसी संगीन वारदात कर सकते हैं। प्रार्थी की पुत्री ने एक प्रार्थना पत्र उच्चाधियाकारियों को दिया परन्तु विपक्षीगण के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 साक्षी यास्मीन मलिक व पी०डब्लू–2 के रूप में साक्षी बाबू खाँ ने अपने कथनों में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। हालाँकि परिवाद पत्र पर कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो सके कि परिवादिनी को आयी चोटों की प्रकृति कैसी थी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था सालिक व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका संख्या **5065/2007** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि "*धारा **498A** की कार्यवाही में पति मामले का प्रमुख अभियुक्त होता है।हमारी सामाजिक व्यवस्था में सास व ससुर घर के मामलों में विशेषकर परिवार के सम्बन्धों में प्रमुख भूमिका रखते हैं।पति के अन्य उपर्युक्त रिश्तेदारों जो याचियों के रूप में अभियुक्त बनाकर सम्मिलित किए गए हैं, जिसका मुख्य आशय पति को आत्मसमर्पण करने या आतंकित करने का होता है। इस उपसंहार पर पहुँचने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है यह बहुत ही स्पष्ट है"।*

ऐसी दशा में मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था में प्रतिपादित अभिमत के दृष्टिगत न्यायालय की राय में परिवादी की पुत्री के कथित उमर(पति), शफीक (ससुर),राबिया (सास)को विचारण हेतु तलब किए जाने का प्रथमदृष्टया आधार पर्याप्त है।

उमर(पति), शफीक (ससुर),राबिया (सास) को अपराध अंतर्गत धारा 498A, 323, भारतीय दंड संहिता व धारा– 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कारित किया जाना परिलक्षित होता है। अतः उमर(पति), शफीक (ससुर),राबिया (सास) उक्त अपराध में आहूत किए जाने योग्य हैं। तदनुसार आदेश।

<u>आदेश</u>

उमर(पति), शफीक (ससुर),राबिया (सास) के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अंतर्गत धारा 498A, 323, भारतीय दंड संहिता व धारा– 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। अभियुक्तगण को ज़रिए समन तलब किया जाए। परिवादी अंतर्गत धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अंदर एक सप्ताह सुनिश्चित करे। परिवादी साक्षियों की सूची प्रस्तुत करे। कार्यालय लिपिक यह सुनिश्चित करें कि जब तक परिवादी द्वारा अंतर्गत धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता, नियमानुसार पैरवी नहीं की जाती है तो उक्त दशा में आदेशिका न जारी करें।

पत्रावली वास्ते अभियुक्त हाज़िरी दिनांक 20.09.2023 को प्रस्तुत हो।

(**डॉ०मंजरी रावल**)

सिविल जज (**जू०डि०**)**एफ०टी०सी०**–1/
न्यायिक मैजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०– 32, **गाजियाबद।**